

अति आवश्यक / आज ही

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(9)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 29.12.2011

जिला कलेक्टर,
हनुमानगढ।

जेल अधीक्षक,
जिला कारागृह, हनुमानगढ।

विषय:- गिरफ्तार चिकित्सकों को रिहा किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जेल अधीक्षक, जिला कारागृह, हनुमानगढ के माध्यम से चिकित्सकों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि ऐसे चिकित्सक जिन्हें हडताल के दौरान रेसमा के तहत गिरफ्तार किया गया है एवं अभी भी जेल में बन्द है। उनसे यह अप्ण्डरटैकिंग प्राप्त कर रिहा किया जा सकता है कि वे हडताल के दौरान भी अपनी सेवाएँ नियमित रूप से राज्य सरकार को देंगे।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन बीकानेर
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ।
- 6- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ।
- 7- प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।
- 8- रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव